(एपीडा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)

विस्तृत विज्ञापन

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार)
तीसरी मंजिल एन सी यू आई बिल्डिंग , 3 **सिरी सांस्थानिक क्षेत्र,**
अगस्त क्रांति मार्ग,(**खेल गावं के सामने**), **नई दिल्ली** -110016, **भारत**

एपीडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय है, जो भारत से कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात व्यापार के विकास से संबंधित कार्यों में कार्यरत शीर्ष संगठन है।

एपीडा में निम्नलिखित पदों पर भर्ती की जा रही है |

पद का नाम	**आयु**	**वेतन स्तर**	**पदों की संख्या और आरक्षण**	**आवश्यक अर्हता और अनुभव**
सहायक महाप्रबंधक	35 वर्ष	स्तर 10 (56100 – 177500) रूपए)	11 (6 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 आर्थिक रूप से कमजोर) (सक्षम प्राधिकारी पदों/रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है)	अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कृषि/बागवानी/पशु चिकित्सा/खाद्य प्रसंस्करण/विदेश व्यापार/प्लांटेशन/प्रबंधन में स्नातक डिग्री जैसे कृषि प्रबंधन | (ii) उपरोक्त क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीयः उपरोक्त विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट; उपरोक्त क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन |

नोट :

(1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है |

(2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए गए या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या उपलब्ध करने की संभावना है |

टिपण्णी : निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पद की पहचान उपयुक्त रूप में की गई है:

क) एलवी
ख) डी, एचएच
ग) ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी और एसआई बिना किसी संबंधित न्यूरोलॉजिकल / अंग की शिथिलता
घ) एसएलडी, एमआई
ड) एमडी जिसमें (क) से (घ) शामिल है |

इसलिए, उपर्युक्त बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं।

उपयोग की जाने वाली श्रेणी संक्षिप्तीकरण: एलवी = कम दृष्टि, डी = बधिर, एचएच = सुनने में कठिनाई, ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, सीपी = सेरेब्रल पाल्सी, एलसी = कुष्ठ रोग ठीक, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी = एसिड अटैक पीड़ित, एसडी = रीढ़ की हड्डी की विकृति, एसआई = रीढ़ की हड्डी की चोट, एसएलडी = विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता , एमआई = मानसिक बीमारी, एमडी = एकाधिक दिव्यांगता

सामान्य शर्तें:-

1. अभ्यर्थी केवल दिए गए लिंक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते है |
2. अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के समर्थन में दस्तावेज / प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है ।
3. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले आवश्यक योग्यता / अनुभव पूरा किया होना चाहिए ।
4. केवल आवेदन जमा करने से अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए बुलाए जाने की पुष्टि नहीं की जाती है।
5. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में आवेदक से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
6. **आवेदन देय शुल्क 500/-रूपए (पांच सौ रूपए मात्र) है | आवेदन शुल्क सभी अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा (महिला अभ्यर्थियों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित**

जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगाजन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान करने से छूट दी गई है|)

7. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए लिंक के माध्यम से किया जाना चाहिए|

8. परीक्षा शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह की अस्वीकृति के सम्बंधित किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

9. जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छुट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क एपीडा को प्राप्त हो गया है | यदि शुल्क एपीडा को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी| इसके अलवा शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉग इन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है | ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते है, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञाप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा |

10. एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे वर्तमान या भविष्य में किसी अन्य चयन के साथ समायोजित किया जाएगा।

11. आयु में छुट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छुट निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छुट
1	अनुसूची जाति /अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
3	दिव्यांगजन	10 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष	
5	किसी दुसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उप द्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके	3 वर्ष

	परिणामस्वरुप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक ।	
6	3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्थाई पद धारण करने वाले एपीडा में कार्यरत कर्मचारी।	5 वर्ष

<u>टिपण्णी</u>:

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी जो ऊपर उल्लिखित किसी भी अन्य खंड के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के तहत संचयी आयु-छूट के पात्र होंगे।

(ii) भूतपूर्व सैनिक उन अभ्यर्थी पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं और पदों में पुन: रोजगार) नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी पद पर सेवा की हो, तथा जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात् अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवा निवृत हुआ हो निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो आदि पर आयु छूट पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य होगी ।

12. चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिसमें 2 घंटे की अवधि के दो परीक्षा शामिल होगी, जिसके बाद चयनित किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निम्नानुसार होगा:

क्रम संख्या	विषय	पैटर्न	प्रश्नों की संख्या	अंक
1	परीक्षा 1: सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास और नागरिक शास्त्र, भारत का भूगोल (प्रत्येक 1 अंक के 50 प्रश्न) सहित सामान्य अध्ययन, प्रबंधकीय क्षमता (प्रत्येक 1 अंक के 10 प्रश्न) अंग्रेजी (प्रत्येक 1	वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय	100	100

	अंक के 25 प्रश्न), तर्कशक्ति (प्रत्येक 1 अंक के 15 प्रश्न)			
2	परीक्षा 2: निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न: विदेश व्यापार नीति; विश्व व्यापार संगठन; भारत से कृषि निर्यात/एपीडा/ट्रेसेबिलिटी सिस्टम सहित कृषि निर्यात; एसपीएस / टीबीटी; गुणवत्ता; एनपीओपी; आईपीआर; कृषि निर्यात नीति; खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण डिग्री स्तर पर संबंधित विषयों से प्रश्न	वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय	100	100
	• प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चार उत्तर विकल्प होंगे जिसमें से सही उत्तर के चयन के लिए एक अंक दिया जाएगा। • प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% नकारात्मक अंक काटे जाएँगे। • परीक्षा की अवधि ढाई घंटे होगी। • ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर पेन द्वारा उत्तर लिखें जाएँगे। • किसी भी पुस्तक / सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।			
3	साक्षात्कार साक्षात्कार के लिए मुख्य विषय हैं: क) सरकारी विभागों (केन्द्रीय/राज्यों)/उनकी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के कार्यपद्धति के ज्ञान और विभिन्न स्तरों पर घोषित और कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं सहित देश में कृषि क्षेत्र के बारे में सामान्य आईक्यू/सामान्य जागरूकता। ख. कृषि उत्पादन और निर्यात की समझ - देश में	-	-	100

	समग्र कृषि उत्पादन और राज्य विशिष्ट जानकारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के संवर्धन और विकास में एपीडा और राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य हितधारकों की भूमिका और कार्यपद्धति । एनपीओपी/एपीडा अधिनियम/ट्रेस नेट/आरसीएमसी/सीओई आदि के तहत एनपीओपी/प्रमाणन। ग. प्रबंधकीय क्षमता घ. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात प्रक्रिया के बारे में समझ – विश्व व्यापार संगठन / टैरिफ संरचना और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रक्रिया के बारे में। कृषि व्यवसाय में मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न। यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मदें केवल सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। साक्षात्कार बोर्ड को प्रासंगिक पाए जाने वाले अन्य विषयों पर प्रश्न प्राप्त करने की स्वतंत्रता है।			

(क) परीक्षा का माध्यम:

परीक्षा द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में होगी। अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में परीक्षा लिखने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, अभ्यर्थी केवल एक भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) में ही उत्तर दे सकते है |

(ख) लिखित परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले योग्यता अंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 60% होंगे।

(ग) साक्षात्कार में प्राप्त किए जाने वाले योग्यता अंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 60% होंगे।

(घ) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा <u>दिल्ली एनसीआर</u> के केंद्रों में आयोजित की जाएगी।

13. अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अनंतिम है। केवल आवेदन जमा करने या

पद पर चयन करने से अभ्यर्थी/आवेदक को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है | पद पर चयन होने के सबंध में अभ्यर्थी को निर्धारित सभी शैक्षिक योग्यताओं और ऊपर उल्लिखित अन्य मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। गलत घोषणा/झूठी सूचना प्रस्तुत करना या कानून के विपरीत कोई अन्य कार्रवाई किसी भी स्तर पर अभ्यावेदन को रद्द कर सकती है।

14. कोई अंतरिम पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा |

15. वे अभ्यर्थी जो सरकारी / अर्ध सरकारी / स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत हैं, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल में अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है |

16. पद के लिए अभ्यर्थी की आयु की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में की जाएगी। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट सरकार के नियमों/आदेशों के अनुसार दी जाएगी ।

17. जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किए जाने अथवा आयु/परीक्षा शुल्क भुगतान (महिला अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) में छूट पाने के इच्छुक है, उन्हें निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अन्यथा, आयु में छूट या शुल्क भुगतान से छूट के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता सत्यापित नहीं की जाती है।

18. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) विनियम, 2022 के अनुसार भर्ती प्रकिया आयोजित की जाएगी |

19. एपीडा यथावश्यक जाँच के पश्चात् जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है |

20. नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड सकती हैं अर्थात यह सभी पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल) के है।

21. एपीडा किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

चेतावनी: – किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करने से अयोग्यता और अभ्यावेदन रद्द हो जाएगा ।

नोट: ऑनलाइन आवेदन –पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकर की फोटो (20केबी से 50केबी) अपलोड करनी होगी | फोटोग्राफ परीक्षा

विग्यप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराणी नहीं होनी चाहिए | फोटोग्राफ की छवि का आयाम 3.5सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होनी चाहिए | फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्में की होनी चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए, आँखें खुली एवं सामने का चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए | धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा | चेहरे या परिपेक्ष्य (बैकग्राउंड) पर कोई विचलित छाया नहीं होनी चाहिए। धार्मिक कारणों को छोड़कर सिर को ढंकने की अनुमति नहीं है, लेकिन ठोड़ी के नीचे से माथे के ऊपर तक और चेहरे के दोनों किनारों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। चेहरे पर भाव स्वाभाविक दिखना चाहिए।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी |

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 20.03.2023 (23:59 बजे) है।

****